



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01082025-265170  
CG-DL-E-01082025-265170

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3469]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 1, 2025/श्रावण 10, 1947

No. 3469]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 1, 2025/SHRAVANA 10, 1947

गृह मंत्रालय

(सीटीसीआर प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2025

का.आ. 3553(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18 की उप-धारा (8) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अधिवक्ता को, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की ओर से, माननीय न्यायालयों के समक्ष एन.आई.ए के मामलों, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में उनके नाम के सामने उल्लिखित है, के संचालन के लिए, विशेष लोक अभियोजक के रूप में अधिसूचित किया था;

क्र.सं.	अधिवक्ता का नाम	अधिसूचना सं एवं दिनांक	NIA केस सं	न्यायालय का नाम
1.	श्री माखन फूकन	का. आ. 1789(अ) दिनांक 19.04.2023	RC-13/2019/NIA/GUW एवं RC-01/2020/NIA/GUW	गुवाहाटी उच्च न्यायालय

और जबकि, केंद्रीय सरकार ने श्री माखन फूकन की नियुक्ति को रद्द करने का निर्णय लिया है;

अतः अब केंद्रीय सरकार श्री माखन फूकन की विशेष लोक अभियोजक के पद पर नियुक्ति को दिनांक 14.05.2025 से समाप्त करती है।

[फा. सं. 11011/38/2024/एनआईए]

राजीव कुमार, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(CTCR Division)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2025

**S.O. 3553(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), read with sub-section (8) of section 18 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023, the Central Government had notified the following Advocate as Special Public Prosecutor for conducting the matters related to NIA cases before the Hon'ble Courts on behalf of the National Investigation Agency as indicated against his name in the table below:-

S.No.	Name of Advocate	Notification No. & date	NIA case No.	Name of the Court
1.	Sh. Makhan Phukan	S.O. 1789(E) dated 19.04.2023	RC-13/2019/NIA/GUW & RC-01/2020/NIA/GUW	High Court of Guwahati

And whereas, the Central Government has decided to discontinue the appointment of Sh. Makhan Phukan, Special Public Prosecutor;

Now, therefore, the Central Government terminates the appointment of Sh. Makhan Phukan as Special Public Prosecutor w.e.f. 14.05.2025.

[F. No. 11011/38/2024/NIA]

RAJEEV KUMAR, Jt. Secy.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2025

**का.आ. 3554(अ).**— केंद्रीय सरकार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18 की उप-धारा (8) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, 2008 (2008 का 34) की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रीमती सिन्धु रविशंकर, अधिवक्ता को NIA विशेष न्यायालय, एन्कुलम और अपीलीय न्यायालय के समक्ष, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) की ओर से, NIA के मामले RC-01/2021/NIA/KOC के द्रायल और सम्बंधित मामलों के संचालन के लिए, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों के लिए या द्रायल समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 11011/38/2024/एनआईए]

राजीव कुमार, संयुक्त सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2025

**S.O. 3554(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), read with sub-section (8) of section 18 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023, the Central Government hereby appoints Smt. Sindhu Ravishankar, Advocate as Special Public Prosecutor for conducting trial and other matters related to NIA case RC-01/2021/NIA/KOC, on behalf of the National Investigation Agency, before the NIA Special Courts at Ernakulam and Appellate Court, for a period of 3 years from the date of publication of this notification or till the completion of trial of the said case, whichever is earlier.

[F. No. 11011/38/2024/NIA]

RAJEEV KUMAR, Jt. Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2025

**का.आ. 3555(अ).**— केंद्रीय सरकार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18 की उप-धारा (8) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अधिवक्ताओं के नाम के सामने कॉलम (3) में उल्लिखित राज्यों में NIA विशेष न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के समक्ष, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) की ओर से, मामलों के संचालन के लिए, उनकी विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति की अवधि को एतद्वारा कॉलम (4) में दी गई तारीख से तीन वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाती हैः-

क्र.म.	अधिवक्ता का नाम	राज्य/न्यायालय का नाम	नियुक्ति की अवधि बढ़ाने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री शैला कुमार भट्ट	जम्मू एवं कश्मीर (NIA विशेष न्यायालय और जम्मू उच्च न्यायालय)	
2.	श्री लोकेश नारंग	चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश (NIA विशेष न्यायालय और हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय)	07.06.2025
3.	श्री युमनाम पाइखोम्बा	मणिपुर (NIA विशेष न्यायालय, इम्फाल)	
4.	श्री वी. एन. अनिल कुमार	केरल (NIA विशेष न्यायालय और केरल उच्च न्यायालय)	
5.	श्री विनू राज आर.		
6.	श्री भास्कर प्रोसाद बनर्जी	पश्चिम बंगाल (कलकत्ता उच्च न्यायालय)	
7.	श्री बी. गोपा कुमार	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय)	
8.	श्री अनिल प्रसाद तिवारी	तेलंगाना (NIA विशेष न्यायालय और तेलंगाना उच्च न्यायालय)	20.07.2025

[फा. सं. 11011/38/2024/एनआईए]

राजीव कुमार, संयुक्त सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2025

**S.O. 3555(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), read with sub-section (8) of section 18 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS), the Central Government hereby extends the term of engagement of the following Advocates as Special Public Prosecutors, for conducting the cases on behalf of the National Investigation Agency before NIA Special Courts and High Courts in the States mentioned against their names in column (3), for a further period of three years w.e.f. the dates mentioned against their names in column (4):-

S.No.	Name of Advocate	Name of State/Court	Extension given from date
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sh. Shaila Kumar Bhatt	Jammu & Kashmir (NIA Special Courts and High Court of Jammu)	07.06.2025
2.	Sh. Lokesh Narang	Chandigarh, Punjab, Haryana & Himachal Pradesh (NIA Special Courts and High Courts of Himachal Pradesh and Punjab & Haryana)	
3.	Sh. Yumnam Paikhomba	Manipur (NIA Special Courts at Imphal)	
4.	Sh. V.N. Anil Kumar	Kerala (NIA Special Courts and High Court of Kerala)	
5.	Sh. Vinu Raj R.		
6.	Sh. Bhaskar Prosad Banerjee	West Bengal (High Court of Calcutta)	
7.	Sh. B. Gopa Kumar	Chhattisgarh (High Court of Chhattisgarh)	
8.	Sh. Anil Prasad Tiwari	Telangana (NIA Special Courts and High Court of Telangana)	20.07.2025

[F. No. 11011/38/2024/NIA]

RAJEEV KUMAR, Jt. Secy.